न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 21/2019

उनवान

मूल कंवर पत्नी राज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मण्डियानी, नसीराबाद
–– प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
–– अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

–: आदेश :–

दिनांक :– 31.8.20

अधिवक्ता प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मण्डियानी के वंर्किग खसरा नम्बर 209 रकबा 11–00–0 व 210 रकबा 4–0–0 व 209 रकबा 0–10–0 की आराजी प्रार्थीया की क्रयशुदा है। उक्त आराजी प्रार्थीया ने दिनांक 14.02.06 को विधिवत क्रय कर आराजी मुतनाजा का कब्जा व दखल प्राप्त किया। प्रार्थीया ने उक्त आराजी किशननाथ पुत्र हरनाथ जाति जोगी से उसका सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा क्रय किया। प्रार्थीया उक्त आराजी पर किशननाथ के 1/2 हिसे पर काबिज काश्त है। जिसमें उसका हिस्सा निहित है। उक्त भूमि पूर्व में गैर खातेदारी दर्ज थी जिसे नामान्तकरण संख्या 197 दिनांक 06.07.84 द्वारा किशननाथ के नाम खातेदारी दर्ज किया गया।

नामान्तकरण संख्या 29 दिनांक 8.01.96 से खसरा नम्बर 209 व 210 हरनाथ फौत के स्थान पर किशननाथ, छोटूनाथ जोगी गैर खातेदार दर्ज हुआ। नामान्तकरण संख्या 311 दिनांक 19.07.04 के अनुसार 209 रकबा 11–0–0 व 210 रकबा 4–0–0 गैर खातेदार किशननाथ, छोटूनाथ पि0 हरनाथ जोगी के नाम अंकन स्वीकार हुआ। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर विक्रेता किशननाथ का 1/2 हिस्सा निहित है। एवं किशननाथ ने उक्त आराजी पर अपने हिस्से का बैचान प्रार्थी को जरियें विक्रय पत्र बैचान कर दिया है। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया गया। अतः उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने के आदेश पारित करावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग खसरा नम्बर 210 रकबा 4–0–0 के हाल खसरा नम्बर 481 रकबा 0.65 है0 बने है तथा वंर्किग खसरा नम्बर 209 मिन रकबा 0–10–0 व 209 मिन रकबा 11–0–0 के हाल खसरा नम्बर 479/0.47, 480/0.10, 482 मिन/0.74, 500/1756 रकबा 0.47 व 480/2037 रकबा 0.08 बने है। हाल खसरा नम्बर 480/2037 रकबा 0.08 वर्तमान में किशननाथ व छोटूनाथ पि0 हरनाथ के नाम खातेदारी दर्ज है। शेष हाल खसरा नम्बर राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज थे। वंर्किग जमाबंदी में साबिक खसरा नम्बर 209 व 210 चौसाला जमाबंदी अनुसार सं0स0 1 से ... छोटूनाथ के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.29 16:12:01 IST
Reason: SelfAttested

गैर खातेदारी का अंकन हुआ। नामान्तकरण संख्या 29/8.1.96 से उक्त खसरा नम्बर पर विरासत दर्ज की गयी एवं नामान्तकरण संख्या 311/19.7.04 से उक्त आराजी पर गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की गयी। नामान्तकरण संख्या 331 दिनांक 20.8.04 से उक्त खसरा नम्बर एस0बी0बी0जे0 शाखा नसीराबाद के नाम रहन दर्ज की गयी। उक्त आराजी में से किशननाथ ने अपना हिस्सा प्रार्थीया को बैचान किया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख अनुसार वंर्किग खसरा नम्बर 209 रकबा 11–0–0 व 210 रकबा 4–0–0 चौसाला जमाबंदी अनुसार हरनाथ पुत्र पूरानाथ के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर 209 का शेष रकबा 0–10–0 नामान्तकरण संख्या 197 दिनांक 6.7.84 से हरनाथ पुत्र पूरानाथ के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुआ। हरनाथ के फौत होने के पश्चात नामान्तकरण संख्या 29 दिनांक 8.1.96 से उक्त आराजी जरियें विरासत किशननाथ व छोटूनाथ पि0 हरनाथ के नाम गैर खातेदारी दर्ज की गयी। तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 311 दिनांक 19.07.04 से उक्त आराजी पर किशननाथ व छोटूनाथ पि0 हरनाथ को गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान की गयी। खातेदारी दर्ज होने के बाद दोनो खातेदारों द्वारा उक्त आराजी पर बैंक से ऋण लिया गया जिस कारण नामान्तकरण संख्या 331 दिनांक 20.8.04 से उक्त खसरा नम्बर एस0बी0बी0जे0 शाखा नसीराबाद के नाम रहन दर्ज की गयी। उक्त आराजी में से किशननाथ ने अपना हिस्सा प्रार्थीया को बैचान किया है।

तत्कालीन वंर्किग जमाबंदी में उक्त सभी नामान्तरकरण आदेश की पालना में विक्रेता को आराजी मुतनाजा का खातेदार दर्ज किया गया। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत जवाब से भी उक्त तथ्यो की पुष्टि होती है। भूमिधारी तहसीलदार नसीराबाद ने प्रकरण में यह स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में किस कारण से प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज नही की गयी। ना ही प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के खण्डन हेतु कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य पेश किये है। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज बिना किसी आदेश अथवा नामान्तकरण के परिवर्तित करने का कोई विधिक अधिकार नही है। उक्त आराजी में से किशननाथ ने अपना हिस्सा प्रार्थीया को बैचान किया है। किन्तु उक्त आराजी बैंक रहन दर्ज होने के कारण पूर्व में कय का नामान्तकरण नही दर्ज किया गया। साथ ही आराजी मुतनाजा बिना किसी आदेश के सिवायचक दर्ज कर दी गयी। अतः उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा पूर्व राजस्व अभिलेख अनुसार किशननाथ पुत्र हरनाथ के नाम दर्ज होने के बाद रहनमुक्त होने के पश्चात नियमानुसार प्रार्थीया के विक्रय पत्र का अमल दरामद हाल राजस्व अभिलेख में किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। ख0न0 480/2037 हाल राजस्व अभिलेख में विक्रेता व उसके भाई की खातेदारी में दर्ज है। शेष खसरा नम्बर पर विक्रेता व उसके भाई इन्द्राज दुरूस्ती प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम मण्डियानी के हाल खसरा नम्बर 500/1756 रकबा 0.47, 479 रकबा 0.47, 480 रकबा 0.10, 482 मिन रकबा 0.74 व 481 रकबा 0.65 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "स्वीकार" किया जाता है। उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर किशननाथ पुत्र हरनाथ का नाम दर्ज करने के आदेश दियें जाते है। साथ ही उक्त आराजी पर किशननाथ पुत्र हरनाथ का हिस्सा नामान्तकरण संख्या 331 दिनांक 20.8.04 के अनुसार एस.बी.बी.जे. शाखा नसीराबाद के नाम रहन दर्ज रहेगा। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। उक्त आराजी रहन मुक्ति के बाद पंजीबद्व विक्रय पत्र के अनुसार हाल खसरा नम्बर 500/1756 रकबा 0.47, 479 रकबा 0.47, 480 रकबा 0.10, 480/2037 रकबा 0.08, 482 मिन रकबा 0.74 व 481 रकबा 0.65 में नियमानुसार नामान्तकरण की कार्यवाही की जावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.29 16:12:01 IST
Reason: SelfAttested